राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(5)वित्त/आब/2022 जयपुर, दिनांक : 29 अगस्त, 2024

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम (प्रति संलग्न) में उल्लेखित राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव अगस्त–सितम्बर, 2024 के लिये मतदान दिनांक 05.09.2024 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

अतः संबंधित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुये 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात **दिनांक 03.09.2024 को सांय 05.00 बजे से दिनांक 05.09.2024 को सांय 05.00 बजे तक सूखा दिवस** घोषित किया जाता है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांक प.4(2)(1)नपा/रानिआ/2024/2717 दिनांक 16.08.2024 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
6. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, (कम्प्यूटर सैल) वित्त विभाग।
8. जिला कलेक्टर (बारां/बीकानेर/चित्तौडगढ/चूरू/दौसा/धौलपुर/जालोर/गंगापुर सिटी/कोटा/श्रीगंगानगर/अनुपगढ एवं हनुमानगढ)।
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त ....।
10. जिला आबकारी अधिकारी संबंधित।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःएफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/2024/2717 दिनांकः– 16.08.2024

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
वित्त (आबकारी) विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः– नगरीय निकायों के उप चुनाव माह अगस्त–सितम्बर, 2024 – चुनाव कार्यक्रम की घोषणा।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 20.08.2024 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 05.09.2024 को होगा। रिक्त पदों की सूची एवं उपचुनाव हेतु कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि मतदान दिवस पर मतदान की समाप्ति पर समाप्त होने वाली 48 घन्टे की कालावधि अर्थात **दिनांक 03.09.2024 को सांय 5.00 बजे से दिनांक 05.09.2024 को सांय 5.00 बजे तक के लिए** संलग्न सूची के अनुसार संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुए 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में सूखा दिवस घोषित करवाने की व्यवस्था करवायें।

संलग्नः– उपचुनाव कार्यक्रम एवं रिक्त पदों की सूची।

भवदीया,

(संचिता बिश्नोई)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/2024/2718 दिनांकः– 16.08.2024

1. प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) बारां, बीकानेर, चित्तौड़गढ, चूरू, दौसा, धौलपुर, जालोर, कोटा, गंगापुरसिटी, श्रीगंगानगर एवं अनूपगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अंजू वर्मा)
सहायक सचिव

D:\NAGAPALIKA\00 NP\0 NP Main folder\By Election 2018-2020\F4(2)(1) NP SEC 2024_bye-election . 2024.doc
13

१२०८५। नव१४५

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवंPh. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ.4(2)(1)नपा / रानिआ / 2024 / 2629 दिनांकः– 13.08.2024

प्रैस–नोट

आयोग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में दिनांक 31.05.2024 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है।

ऐसे रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	जिले का नाम	क्र.स.	नगरनिगम / नगरपरिषद / नगरपालिका का नाम	रिक्त वार्ड सं.
1.	बारां	1.	न.पा. अन्ता	28 / अध्यक्ष
		2.	न.पा. अन्ता	15
		3.	न.पा. अन्ता	17
2.	बीकानेर	4.	न.नि. बीकानेर	3
3.	चित्तौड़गढ़	5.	न.पा. कपासन	17
4.	चूरू	6.	न.पा. राजगढ़	6
		7.	न.पा. राजगढ़	38
5.	दौसा	8.	न.प. दौसा	17
6.	धौलपुर	9.	न.प. धौलपुर	52
		10.	न.पा. बाड़ी	26
7.	जालोर	11.	न.पा. भीनमाल	20
8.	गंगापुर सिटी	12.	न.प. गंगापुर सिटी	8
		13.	न.प. गंगापुर सिटी	29
9.	कोटा	14.	न.नि. कोटा उत्तर	36
10.	श्रीगंगानगर	15.	न.प. श्रीगंगानगर	25
11.	अनूपगढ़	16.	न.पा.रायसिंहनगर	24 / उपाध्यक्ष
12.	हनुमानगढ़	17.	न.पा. भादरा	अध्यक्ष

उक्त रिक्त पदों हेतु उप चुनाव हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार हैः–

➢ सदस्य पद के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	20.08.2024 (मंगलवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	24.08.2024 (शनिवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	27.08.2024 (मंगलवार) प्रातः 10:30 बजे से

4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	29.08.2024 (गुरूवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	30.08.2024 (शुक्रवार)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	05.09.2024 (गुरूवार) प्रातः 07.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	06.09.2024 (शुक्रवार) प्रातः 9.00 बजे से

➢ अध्यक्षीय पदों के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	09.09.2024 (सोमवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	10.09.2024 (मंगलवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	11.09.2024 (बुधवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	12.09.2024 (गुरूवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुगाव चिन्हों का आवंटन	12.09.2024 (गुरूवार) (अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	17.09.2024 (मंगलवार) प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	17.09.2024 (मंगलवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

➢ उपाध्यक्षीय पदों के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	निर्वाचन की तिथि	18.09.2024 (बुधवार)
2.	निर्वाचन प्रक्रिया हेतु समय–सारणी	
	बैठक का प्रारंभ	प्रातः 10:00 बजे
	नामांकन पत्रों का प्रस्तुतीकरण	प्रातः 11:00 बजे तक
	नामांकन पत्रों की संवीक्षा	प्रातः 11:30 बजे से
	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 2:00 बजे तक
	मतदान यदि अवश्यक हुआ तो	अपराह्न 2.30 बजे से 5:00 बजे तक
	मतगणना	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

उक्त निर्वाचन, आयोग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2)(1)नपा–पंचा/सां.आ./रानिआ/14/3913 दिनांक 12.09.2014 के अनुसार सम्पन्न करवाये जायें।

- **मतदाताओं की पहचान**

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 12

वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (आयोग के आदेश क्रमांक 559 दिनांक 07.02.2019)

इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक शामिल है।

- **आदर्श आचरण संहिता**

उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगें।

आज्ञा से,

(संचिता बिश्नोई)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/2024/2630-2637 दिनांकः- 13.08.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
3. अतिरिक्त सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/ कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
5. शासन सचिव, सामान्य प्रशासन/ राज., जयपुर।
6. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर।
8. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) बारां, बीकानेर, चित्तौड़गढ, चूरू, दौसा, धौलपुर, जालोर, कोटा, गंगापुरसिटी, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ एवं हनुमानगढ़।

(संचिता बिश्नोई)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव